मेकेदातु विवाद: निरीक्षण क्या मंज़ूरी है?

समाचार-संदर्भ: मेकेदातु पर तमिलनाडु के पत्र की 7–8 नवंबर 2026 की रिपोर्टें; पत्र 6 नवंबर का बताया गया | **मूल प्रकाशन:** 1 नवंबर 2026 | **अद्यतन:** 8 नवंबर 2026
विषय: अंतर-राज्यीय नदी-जल विवाद और सहकारी संघवाद
मुख्य परीक्षा: GS-II, संघीय व्यवस्था और विवाद-निराकरण
प्रिलिम्स: कावेरी, CWMA, CWRC, अनुच्छेद 262



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री **सी. जोसेफ विजय** ने प्रधानमंत्री से कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु परियोजना पर निचले तटवर्ती राज्यों की सहमति के बिना निरीक्षण, तकनीकी मूल्यांकन अथवा वैधानिक और प्रशासनिक मंज़ूरी आगे न बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने परियोजना-स्थल पर केंद्रीय अधिकारियों के कथित दौरे से किसानों में चिंता बढ़ने की बात कही। **दौरे की रिपोर्ट और परियोजना को अंतिम मंज़ूरी मिलना एक बात नहीं है।**

तारीख का अंतर: 7 नवंबर की तमिल रिपोर्ट और 8 नवंबर की एक अन्य रिपोर्ट में पत्र की तारीख **6 नवंबर 2026** दी गई है। एक अंग्रेजी रिपोर्ट में इसे 7 नवंबर को लिखा गया बताया गया। इसलिए पत्र का दिन और खबर प्रकाशित होने का दिन अलग रखकर पढ़ना चाहिए। इस अद्यतन में पत्र का संदर्भ 6 नवंबर तथा उसके सार्वजनिक समाचार-संदर्भ 7–8 नवंबर के हैं।

मेकेदातु परियोजना क्या है

स्थान और स्वरूप: कर्नाटक में कानकापुरा के निकट कावेरी नदी पर, तमिलनाडु की सीमा से ऊपर की ओर, संतुलन-जलाशय एवं पेयजल परियोजना प्रस्तावित है। संतुलन-जलाशय में पानी रोककर उसका प्रवाह समय और आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। परियोजना प्रस्तावित होने का अर्थ यह नहीं कि निर्माण के लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ मिल चुकी हैं।

कर्नाटक का पक्ष: राज्य इसे बेंगलुरु की पेयजल जरूरत, पानी के बेहतर प्रबंधन और अपने आवंटित हिस्से के उपयोग से जोड़ता है। उसका कहना है कि जलाशय से मौजूदा जल-बँटवारा व्यवस्था का उल्लंघन किए बिना प्रवाह का प्रबंधन किया जा सकता है।

तमिलनाडु की चिंता: ऊपरी हिस्से में बड़ी भंडारण क्षमता से निचले हिस्से में पहुँचने वाले पानी की मात्रा और मासिक समय-सारणी प्रभावित हो सकती है। मुख्यमंत्री के पत्र में प्रस्तावित क्षमता **67.16 TMC** बताई गई है। TMC का अर्थ एक हजार मिलियन घन फुट पानी है। यह पत्र में बताई गई प्रस्तावित क्षमता है, किसी नए स्वीकृति-पत्र का प्रमाण नहीं।

कुल पानी ही नहीं, समय भी महत्त्वपूर्ण

ऊपरी और निचले तटवर्ती राज्य: नदी के प्रवाह में पहले स्थित राज्य ऊपरी और उसके बाद स्थित राज्य निचला तटवर्ती राज्य कहलाता है। ऊपरी राज्य का जल-प्रबंधन नीचे पहुँचने वाले प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। इसलिए विवाद केवल बाँध की भौगोलिक स्थिति का नहीं, साझा नदी पर अधिकार और दायित्व का भी है।

मासिक प्रवाह: कृषि में पानी फसल की जरूरत के समय चाहिए। किसी वर्ष कुल निर्धारित पानी मिल जाना पर्याप्त नहीं होगा यदि निर्धारित महीनों में पानी न मिले और फसल प्रभावित हो। तमिलनाडु की वर्तमान आपत्ति में वार्षिक हिस्से के साथ **मासिक वितरण के विनियमित ढाँचे** की सुरक्षा पर जोर है। इस चिंता को उसके पक्ष के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, स्वतः सिद्ध प्रभाव के रूप में नहीं।

अनुमति के अलग-अलग चरण

स्थल-निरीक्षण: क्षेत्र की स्थिति देखने या तकनीकी जानकारी जुटाने की गतिविधि है। किसी निरीक्षण की खबर अपने-आप पर्यावरणीय, वन अथवा परियोजना की अंतिम स्वीकृति नहीं बनती। वर्तमान खबर में निरीक्षण को लेकर मुख्यमंत्री की आपत्ति है; इसे नई अंतिम सरकारी मंज़ूरी की घोषणा नहीं समझना चाहिए।

DPR: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रस्ताव की अभियांत्रिकी, जल-उपलब्धता, लागत और अन्य पहलुओं का आकलन होता है। रिपोर्ट तैयार करने की अनुमति, रिपोर्ट पर विचार, विशेषज्ञ निकाय की स्वीकृति और परियोजना लागू करने की अंतिम स्वीकृतियाँ अलग चरण हैं।

तमिलनाडु की माँग: आगे की प्रशासनिक या तकनीकी कार्रवाई स्थगित करने और सह-बेसिन राज्यों की सहमति के बिना परियोजना आगे न बढ़ाने का आग्रह किया गया है। यह राज्य सरकार की माँग और उसकी कानूनी व्याख्या है। केवल पत्र लिखे जाने से नया देशव्यापी नियम, न्यायिक रोक या परियोजना की अस्वीकृति लागू नहीं हो जाती।

2025 के निर्णय ने क्या कहा

13 नवंबर 2025 का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय: 2025 INSC 1343 में न्यायालय ने 22 नवंबर 2018 के उस केंद्रीय जल आयोग पत्र के विरुद्ध आवेदन पर विचार किया, जिसमें DPR तैयार करने की अनुमति थी। न्यायालय ने आवेदन को उस चरण पर समयपूर्व पाया। निर्णय ने अंतिम निर्माण-मंज़ूरी नहीं दी।

विशेषज्ञ समीक्षा: निर्णय के अनुच्छेद 15–16 और 26 में स्पष्ट किया गया कि DPR के विचार के लिए संबंधित विशेषज्ञ निकायों की भूमिका और CWMA की पूर्व स्वीकृति महत्त्वपूर्ण हैं। रिपोर्ट में तमिलनाडु की आपत्तियों तथा संबंधित तकनीकी निदेशालयों की टिप्पणियों पर विचार होना है। इसलिए निर्णय को केवल "बाँध को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी" कहना अधूरा होगा।

दायित्व बना रहता है: न्यायालय ने कर्नाटक द्वारा CWMA के निर्देशानुसार पानी छोड़ने और बिलिगुंडुलु मापन-बिंदु पर उसकी निगरानी का उल्लेख किया। उसने यह भी कहा कि यदि DPR स्वीकृत होता है तो पक्ष कानून के अनुसार उपलब्ध कदम उठा सकते

हैं। विशेषज्ञों को प्राथमिकता देने का अर्थ राज्यों के अधिकार अथवा कानूनी उपाय समाप्त कर देना नहीं।

CWMA और CWRC की भूमिका

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, CWMA: कावेरी जल-विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय को, सर्वोच्च न्यायालय के 16 फरवरी 2018 के संशोधन के अनुरूप, लागू कराने की व्यवस्था का हिस्सा है। **कावेरी जल विनियमन समिति, CWRC** भी इसी तंत्र में काम करती है।

कानूनी आधार: केंद्र ने अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की **धारा 6A** के तहत 1 जून 2018 को कावेरी जल प्रबंधन योजना अधिसूचित की। कावेरी विवाद में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी संबंधित पक्ष हैं।

अनुच्छेद 262: संसद को अंतर-राज्यीय नदी अथवा नदी-घाटी के जल संबंधी विवादों के निर्णय के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। यह किसी एक राज्य को सभी परियोजना-स्वीकृतियाँ देने का सामान्य अधिकार नहीं है। संवैधानिक प्रावधान, लागू कानून, जल-बँटवारा निर्णय और परियोजना-विशिष्ट स्वीकृतियाँ साथ पढ़नी होंगी।

कर्नाटक की समिति क्या बताती है

1 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक ने प्रतिपूरक भूमि की पहचान सहित परियोजना से जुड़े कामों की निगरानी के लिए मांड्या के उपायुक्त की अगुवाई में समिति बनाई। प्रतिपूरक भूमि का संदर्भ वनभूमि के उपयोग से जुड़े वैधानिक दायित्वों से है। राज्य-स्तरीय तैयारी को केंद्र की वन-मंज़ूरी मिलना नहीं समझना चाहिए।

भूमि संबंधी दावा: उस रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के हवाले से 2,500 एकड़ भूमि चिन्हित होने और उसमें लगभग 500 एकड़ निजी भूमि के अधिग्रहण की जरूरत बताई गई। ये उस समय दिए गए राज्य सरकार के दावे हैं, पूर्ण अधिग्रहण या सभी स्वीकृतियाँ मिल जाने का प्रमाण नहीं।

राज्यों के बीच संसाधन-संबंधी दायित्वों का एक अलग उदाहरण: जल-बँटवारे से अलग बिजली-पात्रता के विवाद को समझें।

भाखड़ा-ब्यास विवाद: बिजली में बकाये का निपटारा

आगे की राह

साझा तथ्य: जल-उपलब्धता, भंडारण, वर्षा और मासिक रिलीज का भरोसेमंद साझा डेटा विवाद कम करने का आधार हो सकता है। किसी निरीक्षण या राजनीतिक बयान को स्वीकृति का विकल्प मानने के बजाय संबंधित आदेश और उसकी शर्तें सार्वजनिक होनी चाहिए।

तकनीकी और संघीय संवाद: परियोजना का मूल्यांकन पेयजल की जरूरत और निचले तटवर्ती अधिकारों, दोनों को साथ रखकर हो। मौजूदा न्यायिक निर्णयों का पालन, विशेषज्ञ निकायों की पारदर्शिता तथा समयबद्ध अंतर-राज्यीय संवाद विकास और विश्वास के बीच संतुलन बना सकते हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

मेकेदातु परियोजना के संदर्भ में समझाइए कि अंतर-राज्यीय नदी-जल विवादों में तकनीकी मूल्यांकन, न्यायिक निगरानी और सहकारी संघवाद एक-दूसरे के पूरक क्यों हैं। (उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: कावेरी पर ऊपरी राज्य की जल-प्रबंधन जरूरत और निचले राज्य की निर्धारित प्रवाह की चिंता से प्रश्न शुरू करें। स्थल-निरीक्षण, DPR तैयार करना और अंतिम स्वीकृति अलग चरण हैं, यह स्पष्ट करें।

मुख्य भाग में: CWMA और CWRC के तकनीकी काम, धारा 6A की 2018 योजना तथा 2025 के निर्णय में विशेषज्ञ समीक्षा की प्राथमिकता समझाएँ। इसके साथ न्यायालय द्वारा जल-रिलीज दायित्व और उपलब्ध कानूनी उपाय बनाए रखने का उल्लेख करें। केवल वार्षिक मात्रा नहीं, मासिक समय-सारणी और कम वर्षा के वर्षों का प्रबंधन भी जरूरी है। साझा डेटा, पारदर्शी आदेश, प्रभावित राज्यों की बात सुनना और शर्तों के पालन की निगरानी सुझाएँ। किसी राज्य की सहमति संबंधी माँग को बिना विश्लेषण अंतिम कानूनी निष्कर्ष न बनाएँ।

निष्कर्ष में: विशेषज्ञ समीक्षा राजनीतिक विश्वास का विकल्प नहीं, और संवाद वैधानिक स्वीकृतियों का विकल्प नहीं। अधिकारों की रक्षा के साथ तथ्य-आधारित निर्णय ही टिकाऊ संघीय समाधान दे सकते हैं।

स्रोत

- सर्वोच्च न्यायालय: 2025 INSC 1343, 13 नवंबर 2025
- जल शक्ति मंत्रालय: CWMA और 2018 की प्रबंधन योजना
- अनुच्छेद 262: संवैधानिक पाठ
- दिनमणि, 7 नवंबर: 6 नवंबर के पत्र का विवरण
- न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 8 नवंबर: निरीक्षण पर आपत्ति और 6 नवंबर के पत्र का विवरण
- द हिंदू, 7 नवंबर: प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप का आग्रह
- न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 1 नवंबर: समिति और भूमि संबंधी राज्य सरकार का बयान